अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,बिहार सरकार
(हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में हज भवन, पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम हेतु नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एंव निर्देशः–

1. **आवेदकों में जो पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयेाग एवं अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इत्यादि के साक्षात्कार, प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।**

2. **चयनित आवेदकों को दिनांक 28.06.2025 को हज भवन स्थित बिहार राज्य हज समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में अपना नामांकन कराना अनिवार्य है। कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 01.07.2025 से आरम्भ करने की योजना है।**

3. **आवासीय कोचिंग कार्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थी दिनांक 28.06.2025 से 29.06.2025 तक अपने नामांकन हेतु कार्यालय अवधि में हज भवन, पटना आकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करके अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों के बदले जगह दे दी जाएगी।**

4. नामांकन हेतु आने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह पूरी तैयारी से नामांकन हेतु हज भवन, पटना में आऐं। नामांकन के पश्चात घर जाने की अनुमति नही होगी, नामांकन के समय प्रत्येक उम्मीदवार को 5000/- (पाँच हजार रुपये) सुरक्षा राशि के रुप में जमा करना होगा। कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग की ओर से नामांकन के समय अभ्यर्थी को गद्दा, चादर, तकिया, पानी का बोतल, गिलास, चम्चा एंव मच्छरदानी इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हज भवन में आवासन की अवधि में कोचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी द्वारा हज भवन परिसर की किसी सम्पत्ति को यदि नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई सुरक्षित जमा राशि से की जा सकेगी। कोचिंग कार्यक्रम की समाप्ति पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण सुरक्षित जमा राशि लौटा दी जाएगी।

5. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में मिनू के अनुरूप तीनों समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 4500/–(चार हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना होगा। भोजन मद में जमा की गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जा सकेगी।

6. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः नौ महीने का होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा एंव साक्षात्कार की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों को हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना समन्वयक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

7. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची मे अनुभवी शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या मे पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज एंव फुल टेस्ट सीरीज़ का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।

8. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छाया प्रति प्रस्तुत करना **आवश्यक** है :–

(क) यदि आवेदक द्वारा पूर्व की UPSC/BPSC अथवा पुलिस अवर सेवा इत्यादि के प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए हैं तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का फार्म की प्रति।

(ग) मैट्रिक/10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।

(घ) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(ङ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय–पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पासपोर्ट इत्यादि)।

(च) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछडा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग का क्रीमीलेयररहित/जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) दो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो।

9. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

10. अतिरिक्त जानकारी हेतु तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर दूरभाष संख्या–0612–2203315 एवं 7903062552, 9097171909, 8210665561 अथवा 9060338682 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

26/06/2025

समन्वयक

हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार राज्य हज समिति, पटना।